

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री नितिन

विपक्षी :- श्रीमती मांगीबाई

किस्म मुकदमा :- 88,188 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 35/24

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/67

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 21.01.2026</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्घो का पेश कर वाद विद्घो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को प्रार्थना पत्र वाद विद्घो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्घो को पढकर अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्घो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्घो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्घो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है तथा इस पत्रावली के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र संख्या 25/24 अनवान नितिन बनाम मांगीबाई में निर्णय दिनांक 24.04.2025 से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

